APP-A
Crim-I

2020/00017

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप जिलाधिकारी मुकाम बयाना

बनाम

किस्म मुकदमा न. सन्

धारा 136 LR Act 11/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/20	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट व मौके की रिपोर्ट हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 22/4/20 को पेश हो।	
22/4/20	पीठासीन अधिकारी .... है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/20 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
7/8/20	पीठासीन अधिकारी .... है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/20 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
14/11/2020	पीठासीन अधिकारी .... है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/2/21 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
17/2/21	पीठासीन अधिकारी .... है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/3/21 को पेश हो रीडर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	241/0.50, 242/0.82 में 5/42 भाग की (पालीदा) आवेदक व काबिज आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी पर सहवन वहीं प्रार्थिया का नाम रत्नो पत्नी सुजान गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थिया का सही नाम सरस्वती पत्नी सुजानमल है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक LR/2020/4337 दिनांक 10/9/2020 से पत्रावली में रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि बयनामा के नामान्तकरण संख्या 131/12/10/09, 110/05/01/2010 द्वारा प्रार्थिया के नाम रत्नो पत्नी सुजानमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। हमने एडवो० प्रार्थी को सुना। प्रकरण का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा सहवन वहीं लिपिकीय भूल से रत्नो पत्नी सुजानमल गलत दर्ज हुआ है बाबत कोई भी प्रमाण अभिलेख दर्ज नहीं किया है जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि गलती कहाँ से हुई है। मात्र प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act का पेश करने पर किसी प्रकार की दुरुस्ती (बिना राजस्व अभिलेख) किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज योग्य है। आदेश अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रकरण [illegible] खारिज किया जाता है। प्रकरण [illegible] नम्बर से कम हो। बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज हमारे [illegible] खुले न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested